

ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी/साथिन/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र

बाल विकास परियोजना/सहायक निदेशक :जिला :

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम.....

राजस्व ग्राम/वार्ड

ऑगनबाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत का नाम

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

मानदेय सेवा पद.....

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

1. आवेदक का नाम

2. पति का नाम

3. पिता का नाम

4. पत्र व्यवहार का पता

.....

5. मोबाईल नम्बर.....

6. आवेदक की मेल आइ डी-

7. जन्म तिथि

8. आयु वर्ष माह

(विज्ञप्ति जारी होने/करने की तिथि के आधार पर)

9. वर्ग

(i) अनु.जाति जनजाति अल्पसंख्यक ओ.बी.सी सामान्य

एसबीसी आर्थिक पिछडा वर्ग (EWS)

(ii) आदिम व घुमन्तुजाति आदिम व घुमन्तु जनजाति

(iii) दिव्यांग जन (गति आधारित)

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

10. वैवाहिक स्थिति-विवाहित विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

11. विवाह की तिथि.....

(सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र. सं.	उत्तीर्ण कक्षा	वर्ष	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	8वीं			
2	सैकण्डरी			
3	हाई सैकण्डरी			
4	नर्सरी टीचर टेनिंग (NTT)/DPSE			
5	स्नातक			
6	स्नातकोत्तर			
7	विज्ञान या जीव विज्ञान में और पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर			
8	कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT / RS-CFA) /PGDCA			
9	ANM/GNM/Ayurved Nursing			
10	अन्य			

13. आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/शिशु पालना गृह/साथिन के रूप में कार्यानुभव (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

14. अन्य योग्यता का विवरण-

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

15. (i) बीपीएल (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित)

(ii) NFSA/अन्त्योदय

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.)

16. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

(संलग्न किये गये दस्तावेजों पर टिक करे तथा अन्य को काट दें)

क्र. सं.	योग्यता दस्तावेज	हाँ/नहीं	संलग्नक पृष्ठ संख्या
1	अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
2	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
3	सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
4	स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र <ul style="list-style-type: none"> ● मतदाता पहचान-पत्र ● राशन कार्ड ● आधार कार्ड ● जन आधार कार्ड 		
5	विवाह पंजियन प्रमाण-पत्र		
6	अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग का प्रमाण-पत्र		
7	आदिम व घुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र		
8	दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र		
9	जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र		
10	RSCIT प्रमाण-पत्र / PGDCA		
11	कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो)		
12	बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो)		
13	NFSA/अन्त्योदय काड		
14	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र		
15	अन्य		

दिनांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

घोषणा

1. मैंशपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंने कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।

3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है, जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।
4. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं। आवेदन के बाद किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने हेतु अनुरोध नहीं करूंगी।
5. मेरे पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है/ मैं दिनांक से तलाकशुदा हूँ/मैं दिनांक से परित्यक्ता हूँ तथा मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। मैंने सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया है। (लागू होने पर ही भरा जाये)।

.....

दिनांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाये

(आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु)

- श्रीमती पत्नी श्री निवासी
- से आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए मानदेय सेवा पद
- हेतु आवेदन पत्र मय निम्नलिखित संलग्नों सहित प्राप्त किया गया।
1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 3. स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र- मतदाता पहचान-पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड संलग्नक पृष्ठ संख्या
 4. विवाह पंजियन प्रमाण- पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 5. अनसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 6. आदिम व घुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 7. दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 8. जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 9. RSCIT प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो) संलग्नक पृष्ठ संख्या
 11. बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो) संलग्नक पृष्ठ संख्या
 12. NFSA/अन्त्योदय कार्ड संलग्नक पृष्ठ संख्या
 13. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 14. अन्य संलग्नक पृष्ठ संख्या

हस्ताक्षर (आवेदन जमा करने वाले के)

दिनांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

चयन हेतु वांछित पात्रता की शर्तः—

(i) **स्थानीय निवासी होना**— आंगनबाड़ी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत/ग्राम आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। **साथिन पद के लिए** आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। (मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाये) **विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।** यदि किसी स्थान पर उस ग्राम या वार्ड के लिए कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रकरण उप निदेशक/सहायक निदेशक को भेजकर उसमें शिथिलन हेतु अनुमत किया जायेगा, जिसमें उसे उस ग्राम की बजाय उस ग्राम पंचायत अथवा उस वार्ड से संलग्न अन्य वार्ड की सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा।

(ii) ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के कारण परिसीमन के कारण प्रभावित हुई साथिनों के प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः—

1. यदि कार्यरत साथिन का गांव (मूल निवास) पूर्व गठित (पुरानी) ग्राम पंचायत से पृथक होकर नव गठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में साथिन का गांव जिस नव गठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हुआ है, उस ग्राम पंचायत में साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। पुरानी ग्राम पंचायत में जहां पद रिक्त हुआ है, वहां नवीन साथिन का चयन किया जावे। विशेष परिस्थिति में (केवल एक बार) यदि कार्यरत साथिन पूर्व स्थान पर (पुरानी ग्राम पंचायत में) ही कार्य करने की इच्छुक है तो साथिन से लिखित में प्रार्थना पत्र जिस पर सुपरवाईजर म.अ. की स्पष्ट अभिशंषा हो, प्राप्त कर साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को वहीं पर पदस्थापित रखा जा सकेगा।
2. यदि परिसीमन के फलस्वरूप कोई ग्राम पंचायत नगरपालिका क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में विलीन हो जाती है तो विलीनीकृत ग्राम पंचायत की, साथिन के पद के समाप्त होने के फलस्वरूप, वर्तमान कार्यरत साथिन को निकटस्थ पूर्व गठित

अथवा नव गठित ग्राम पंचायत में साथिन के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण सुपरवाइजर, म.अ. द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाये। चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को पदस्थापित किया जा सकता है।

3. यदि साथिन का चयन कर लिया गया हो किन्तु कार्य प्रशिक्षण के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया हो और उसकी ग्राम पंचायत परिसीमन में विलीन हो गई हो तो ऐसे प्रकरण को सुपरवाइजर, म.अ. द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। उस साथिन को निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नव गठित ग्राम पंचायत में साथिन का पद रिक्त हो तो चयन समिति के निर्णय अनुसार कार्य प्रशिक्षण पश्चात चयनित साथिन के प्रशिक्षण में सफल होने पर कार्यादेश जारी किया जा सकता है।
- (iii) आंगनबाड़ी केन्द्र के सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिये आवश्यक है कि मानदेय कर्मी जिसका चयन किया जा रहा है के निवास की दूरी आंगनबाड़ी केन्द्र से शहरी क्षेत्र में 5 कि.मी., ग्रामीण क्षेत्र में 3 कि.मी. व जनजातीय क्षेत्रों में 1.5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iv) आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
- (v) शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।
- (vi) **वैवाहिक स्थिति**— आंगनबाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है। साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
- (vii) **शैक्षणिक योग्यता**— आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु न्यूनतम **बारहवीं उत्तीर्ण** होना तथा साथिन व सहायिका हेतु **न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण** होना आवश्यक है।
- (viii) **आयु**— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित— प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
 - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
 - परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।

(ix) चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड—विभिन्न पदों की व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा, जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगा—

(x) समान अंक आने की स्थिति :-

- दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी—

1. विधवा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हुई हो।
2. तलाकशुदा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा हुई हो।
3. आंगनबाड़ी मानदेय कर्मी जिसका चयन किया जा रहा है के निवास की दूरी आंगनबाड़ी केन्द्र से शहरी क्षेत्र में 5 कि.मी., ग्रामीण क्षेत्र में 3 कि.मी. व जन जातीय क्षेत्रों में 1.5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम निवासी को वरीयता दी जाये।
4. साथिन पद हेतु चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बंधित सहायक निदेशक कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी।

5. अधिकतम आयु वाली महिला

उक्त में भी दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में निम्न वरीयता प्रदान की जाये—

वरीयता	विषय
प्रथम	10वीं के प्राप्तांक / 12 वीं कक्षा में प्राप्तांक / विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक में प्राप्तांक / स्नातकोत्तर में प्राप्तांक
द्वितीय	कम्प्यूटर में उच्चतम योग्यता
तृतीय	NTT/DPSE Course, Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan Or B.Ed/BSTC Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan.

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच के पश्चात् उनके आधार पर यह मूल्यांकन प्रपत्र भरा गया है।

नोट:

1. उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में महिला पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा।
2. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी के लिए तथा साथिन व सहायिका के लिए अलग-अलग अंक भार के अनुसार ही मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाये।
3. दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में वरीयता अनुसार महिला का चयन किया जाएगा।
4. आँगनबाड़ी कर्मी चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी। साथिन हेतु चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बंधित जिला कार्यालय महिला अधिकारिता में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी।
5. प्रत्येक जगह आँगनबाड़ी /साथिन मानदेयकर्मी के चयन में 3 आवेदकों की आरक्षित सूची भी बनायी जाये, ताकि एक मानदेयकर्मी के हटने या हटाये जाने पर तत्काल दूसरे मानदेयकर्मी को लगाने का विकल्प उपलब्ध हो।

(xi) श्रेणीवार आरक्षण –

- जिन केन्द्रों /ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आँगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर एवं साथिन के लिए उप/सहायक निदेशक कार्यालय की सूचना के आधार पर ही की जानी चाहिए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी-लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी-लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी-लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है।) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयरका प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी

होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जाएंगे व इस सम्बंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

(B) चयन प्राथमिकता—

- चयन की प्राथमिकता **परिशिष्ट 'ब'** पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(C) शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता—

(अ) शहरी क्षेत्र—

शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र—

- महिलाओं में शैक्षणिक पिछडेपन की स्थिति वाले जिले (1) बाडमेर (2) जैसलमेर (3) जालौर (4) प्रतापगढ़ (5) सिरोही (6) टोंक (7) उदयपुर (8) बांरा जिले के सहरिया बाहुल्य किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में स्थित ग्रामीण परियोजनाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु 10वीं पास एवं साथिन व सहायिका हेतु 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है।

चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए					
क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता (कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी)	विज्ञान मे जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक या स्नातकोत्तर	3	3	
		स्नातकोत्तर	2		
		स्नातक या समकक्ष योग्यता	1		
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	0		
		राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय NTT/DPSE डिप्लोमा/B.Ed.	2	2	
2	श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/ आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक	2		
		सामान्य	1		
		आदिम व घुमन्तू जाति/जनजाति को अतिरिक्त अंक	2	2	
		गति आधारित दिव्यांगजन (गति आधारित-प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण)	2	2	
3	विशेष योग्यता	जी.एन.एम./आयुर्वेद नर्सिंग	4	4	
		ANM	3		
		RSCIT / PGDCA	1	1	
4	कार्यानुभव	आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशासहयोगिनी/साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव	4	4	
5	NFSA/अन्त्योद/बीपीएल/भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	NFSA में सम्मिलित/अन्त्योदय बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित), भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	1	1	
6	ज्योति योजना	ज्योति योजना के लाभार्थी	1	1	
7	विधवा/तलाकशुदा	विधवा	3	3	
		तलाकशुदा/परित्यक्ता	2		
कुल				26

आंगनबाड़ी सहायिका के लिए					
क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता (सहायिका)	12वीं पास या समकक्ष योग्यता	2	2	
		10 वीं पास या समकक्ष योग्यता	0		
2		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/ आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक	2		
		सामान्य	1		
		आदिम व घुमन्तू जाति/जनजाति को अतिरिक्त अंक	2	2	
		गति आधारित दिव्यांगजन (गति आधारित- प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण)	2	2	
3		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/ साथिन के रूप में 1 वर्ष काकार्यानुभव	4	4	
4		NFSA में सम्मिलित/अन्त्योदय बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित), भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	1	1	
5	ज्योति योजना	ज्योति योजना के लाभार्थी	1	1	
6	विधवा/ तलाकशुदा	विधवा	5	5	
		तलाकशुदा/परित्यक्ता	3		
कुल				20